न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ (जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी– महावीरसिह जोधा आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
26.12.2012	23.2.2012	16/7/19

प्रार्थीगण / वादीगण	बनाम	अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण
भंवरसिह वगैरा		जेठमल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 सी. पी. सी.

1. श्री हनवन्तसिह भाटी अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. श्री देवेन्द्र सोनी अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित।

निर्णय

वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत बटवाडा कराये जाने का प्रस्तुत कर अंकित किया कि खसरा नम्बर 132 रकबा 114.04 बीघा ग्राम चांदसर पटवार हल्का सेतरावा भू–अ.नि. सेतरावा तहसील–देचू जिला जोधपुर उक्त वाद में प्रतिवादीगण संख्या 3 भींवराज पुत्र फोजमल की मृत्यु दिनाक 10.10.2014 को हो जाने से उक्त वाद में प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया गया तथा निवेदन किया की प्रतिवादीगण संख्या 3 को मृत्यु 4 साल पूर्व हो चुकी हैं तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 3 एक ही ग्राम के निवासी हैं जिससे वादी को व्यक्तिगत रूप से जानकारी हैं उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी जिसकी प्रति वादी अधिवक्ता को दिलाई गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी का जबाव पेश कर उसमें बताया गया कि मृतक के वारिसान को रेकर्ड पर लेने हेतु अलग से पेश हैं तथा अधिवक्ता प्रतिवादीगण आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी के अनुसार पालना नही की गई तथा वादी ग्रामीण परिवेश व समूचित कानूनी जानकारी के अभाव में तथा बटवाडे के वाद में दावा एक पक्षकार के देहान्त होने पर एबेट नही होगा।

वकुला पक्षकार की बहस सुनी गई जिसमे प्रतिवादी पक्षकार द्वारा बताया गया कि उक्त वाद में प्रतिवादीगण संख्या 3 भीवराज की आज से 4 साल पूर्व दिनाक 10.10.2014 को मृत्यु हो चुकी है। तथा प्रतिवादी उक्त प्रार्थना पत्र 22.1.2019 को पेश किया गया था तथा

उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ जिला जोधपुर

सहायक कलक्टर शेरगढ़
जिला जोधपुर

Scanned by CamScanner

उक्त प्रार्थना पत्र के पेश करने के तीन माह के भीतर भी वादी द्वारा मृतक के वारिसान को रेकर्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया। तथा प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि उक्त वाद में आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वाद एबेट करने का निवेदन किया गया। अधिवक्ता वादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुए कहा किया प्रतिवादीगण ने आदेश 22 नियम 10 ए की पालना नहीं की है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनने के उपरान्त प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी द्वारा समय पर कायम मुकाम की कार्यवाही नही की गई अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद निरस्त किया जाकर वादी को सभी मृतक के सभी वारिसान को पक्षकार बनाते का नये सिरे वाद पत्र 2 माह के भीतर वाद पत्र पेश करने की अनुमति के साथ उक्त वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ जिला जोधपुर

(महावीरसिंह जोधा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
शेरगढ़ , जोधपुर

सहायक कलक्टर शेरगढ़
जिला जोधपुर

Scanned by CamScanner